4 अप्रैल, 2018 को पूर्वाह्न 11 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 82वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 82.8 : शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के मामले (3 प्रस्ताव)

(i) एनसीएलटी द्वारा पारित किए गए डिमर्जर के आदेश के कारण मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - यूनिट 1 के स्थान पर मैसर्स एटोस ग्लोबल आईटी सोल्यूशंस एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड - यूनिट 1 को कार्यान्वयन एजेंसी बनाने / शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 1) जो पल्लावरम - थोरईपक्कम 200 फुटा रोड, थोरईपक्कम, चेन्नई में मैसर्स आईजी3 इनफ्रा लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव

मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 1) को साफ्टवेयर विकास तथा आईटी समर्थित सेवाओं के लिए 22 नवंबर, 2006 को एलओए प्रदान किया गया था। यूनिट ने सूचित किया है कि उन्होंने 19 जनवरी, 2007 से अपनी गतिविधियां शुरू कर दी है।

यूनिट की शेयर होल्डिंग के मौजूदा एवं प्रस्तावित पैटर्न का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

शेयर होल्डिंग का मौजूदा पैटर्न नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	**शेयर धारक का नाम**	**शेयर होल्डिंग का प्रतिशत**
1	अटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	99.99
2.	अटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से नामिति शेयर धारक के रूप में श्री सुरेंद्रसिंह नवलसिंह गोहिल	0.01
	इक्विटी शेयरों की कुल संख्या	100

शेयर होल्डिंग का प्रस्तावित पैटर्न नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	**शेयर धारक का नाम**	**शेयर होल्डिंग का प्रतिशत**
1.	अटोस इंटरनेशनल बीवी (नीदरलैंड)	99.81
2.	अटोस इंटरनेशनल आईटी लिमिटेड यूनिट 1	0.18
3.	अटोस एसई (फ्रांस) - अटोस इंटरनेशनल बीवी (नीदरलैंड) के नामिति के रूप में धारित दो शेयर	0.01
	इक्विटी शेयरों की कुल संख्या	100

विकास आयुक्त की सिफारिश :

नाम में परिवर्तन करने और मैसर्स एटोस ग्लोबल आईटी सोल्यूशंस एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड - यूनिट 1 को शेयर होल्डिंग पैटर्न हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - यूनिट 1 का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ संस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) एनसीएलटी द्वारा पारित किए गए डिमर्जर के आदेश के कारण मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - यूनिट 2 के स्थान पर मैसर्स एटोस ग्लोबल आईटी सोल्यूशंस एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड - यूनिट 2 को कार्यान्वयन एजेंसी बनाने / शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 2) जो पल्लावरम - थोरईपक्कम 200 फुटा रोड, थोरईपक्कम, चेन्नई में मैसर्स आईजी3 इनफ्रा लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव

मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 2) को साफ्टवेयर विकास तथा आईटी समर्थित सेवाओं के लिए 2 सितंबर, 2009 को एलओए प्रदान किया गया था। यूनिट ने सूचित किया है कि उन्होंने 18 दिसंबर, 2009 से अपनी गतिविधियां शुरू कर दी है।

यूनिट की शेयर होल्डिंग के मौजूदा एवं प्रस्तावित पैटर्न का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

शेयर होल्डिंग का मौजूदा पैटर्न नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	**शेयर धारक का नाम**	**शेयर होल्डिंग का प्रतिशत**
1	अटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	99.99
2.	अटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से नामिति शेयर धारक के रूप में श्री सुरेंद्रसिंह नवलसिंह गोहिल	0.01
	इक्विटी शेयरों की कुल संख्या	100

शेयर होल्डिंग का प्रस्तावित पैटर्न नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	**शेयर धारक का नाम**	**शेयर होल्डिंग का प्रतिशत**
1.	अटोस इंटरनेशनल बीवी (नीदरलैंड)	99.81
2.	अटोस इंटरनेशनल आईटी लिमिटेड यूनिट 2	0.18
3.	अटोस एसई (फ्रांस) - अटोस इंटरनेशनल बीवी (नीदरलैंड) के नामिति के रूप में धारित दो शेयर	0.01
	इक्विटी शेयरों की कुल संख्या	100

विकास आयुक्त की सिफारिश :

नाम में परिवर्तन करने और मैसर्स एटोस ग्लोबल आईटी सोल्यूशंस एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड - यूनिट 2 को शेयर होल्डिंग पैटर्न हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - यूनिट 2 का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ संस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) मैसर्स डेक्कन रियल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को शेयरों के अंतरण के माध्यम से मैसर्स फिनिक्स इनफोसिटी प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व के अंतरण के लिए मैसर्स फिनिक्स इनफोसिटी प्राइवेट लिमिटेड जो फिनिक्स इनफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी है तथा सर्वे नंबर 30 (पी), 34 (पी), 35 (पी) एवं **38 (पी), गचिबाउली गांव**, **सेरिलिंगमपल्ली मंडल**, **रंगारेड्डी जिला**, **तेलंगाना में आईटी / आईटीईएस एसईजेड का विकासक है**, **का प्रस्ताव**

आज तक की स्थिति के अनुसार मैसर्स फिनिक्स इनफोसिटी प्राइवेट लिमिटेड अधिसूचित है।

मैसर्स डेक्कन रियल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स असेंडास ग्रुप, सिंगापुर के स्वामित्व वाली कंपनी है, शेयरों के क्रय के माध्यम से फिनिक्स इनफोसिटी प्राइवेट लिमिटेड का 100 प्रतिशत स्वामित्व प्राप्त करना चाहती है।

इस संबंध में, विकासक ने 18 जनवरी, 2017 को आरओसी द्वारा जारी किए गए मैसर्स डेक्कन रियल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम में परिवर्तन के अनुक्रम में निगमन प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की है।

24 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार शेयर धारकों की सूची नीचे दी गई है :

क्र. सं.	**शेयर धारक का नाम**	**इक्विटी शेयरों की संख्या**	**शेयर होल्डिंग का प्रतिशत**	**अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय तरजीही शेयरों की संख्या**	**शेयर होल्डिंग का प्रतिशत**	**लाभप्रद ढंग से धारित**
1.	फिनिक्स इंफ्राटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	4,99,99,999	99.99			हां
2.	जीवी रमन रेड्डी (फिनिक्स इंफ्राटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का नामिती)	01	0.01			प्रकट स्वामी के रूप में
3.	फिनिक्स अर्बन इनफ्रास्ट्रक्चर			3,50,00,000	100	हां

	प्राइवेट लिमिटेड					
	कुल	5,00,00,000	100	3,50,00,000	100	

विकास आयुक्त, वीएसईजेड की सिफारिश की प्रतीक्षा है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 82.9 : विविध मामले (2 प्रस्ताव)

(i) मैसर्स सार्थक वेयरहाउसिंग एवं ट्रेडिंग कंपनी (एसडब्ल्यूटीसी), गांधीधाम के एलओए को बहाल करना

(i) नियम 18(5) के तहत व्यापार और भंडारण की गतिविधि के लिए मैसर्स सार्थक वेयरहाउसिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी (एसडब्ल्यूटीसी) को एलओए दिनांक 25 जून, 2010 इस विशिष्ट शर्त के साथ प्रदान किया गया था कि उन्हें पहले से उपयोग की गई किसी भी सामग्री जैसे कि इस्तेमाल किए गए कपड़े या प्लास्टिक की रद्दी का आयात करने की अनुमति नहीं होगी। 04 सितंबर, 2014 और 21 अक्टूबर, 2014 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की 72वीं और 73वीं बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 22 अक्टूबर, 2014 को कोई डीटीए बिक्री न करने और 100 प्रतिशत निर्यात करने की शर्त के साथ सेकेंड हैंड माल आयात / भंडारण करने की अनुमति देने के लिए एलओए संशोधित किया गया।

(ii) इसके बाद 25 फरवरी, 2015 को मैसर्स एसडब्ल्यूटीसी ने विदेशी ग्राहक की ओर से विनिर्माण प्रक्रिया संचालित करने अर्थात सेवा गतिविधि की प्रक्रिया के दौरान बचे प्रयुक्त कपड़ों को वाइपर के रूप में काटने के लिए अनुरोध किया जिसे 19 मई, 2015 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 65वीं बैठक में समुचित विचार विमर्श के बाद इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि एसईजेड नियमावली के नियम 18(4)(ग) के अंतर्गत उक्त गतिविधि अनुमत नहीं है।

(iii) मंत्रालय ने पत्र दिनांक 27 मई, 2015 के माध्यम से मूल एलओए के संदर्भ में मैसर्स एसडब्ल्यूटीसी को प्रदान किए गए अनुमोदनों और तद्नुसार इस प्रशासन के विस्तृत उत्तर दिनांक 17 जून, 2015 के बारे में और जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया, मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 के माध्यम से स्पष्ट किया कि मैसर्स वर्षा कार्पोरेशन के मामले में उल्लिखित सेकेंड हैंड के फटे और प्रयुक्त कपड़ों का 100 प्रतिशत निर्यात देश के बाहर भौतिक निर्यात होगा और यह भी स्पष्ट किया गया कि एसईजेड अधिनियम की धारा 2(एम) में परिभाषित निर्यात का अभिप्राय 100 प्रतिशत विदेशी भौतिक निर्यात से है। तद्नुसार, इस कार्यालय ने एलओए की शर्त नंबर 3 को इस हद तक संशोधित किया कि सेकेंड माल का आयात और भंडारण देश के बाहर 100 प्रतिशत भौतिक निर्यात के अधीन होगा और कोई डीटीए बिक्री न करने की शर्त के साथ कोई इंट्राजोन आपूर्ति अनुमत नहीं होगी।

(iv) इसके अलावा, मंत्रालय ने पत्र दिनांक 14 दिसंबर, 2015 के माध्यम से निर्देश दिया कि सेकेंड हैंड प्रयुक्त माल के आयात के लिए मैसर्स एसडब्ल्यूटीसी को प्रदान किया गया अनुमोदन एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 18(4)(घ) के संदर्भ में तत्काल वापस लिया जाना चाहिए और यह भी कहा गया कि जहां तक सेकेंड हैंड माल का भंडारण करने के लिए प्रदान किए गए अनुमोदन का संबंध है, ऐसे प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकता है जब प्रस्ताव मैसर्स वर्षा कार्पोरेशन लिमिटेड को प्रदान किए गए अनुमोदन की तर्ज पर और एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन के साथ होगा। मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया कि यूनिट को उक्त स्थिति से अवगत कराया जाए और यदि यूनिट इससे सहमत हो, तो एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जा सकता है।

(v) तद्नुसार, इस कार्यालय ने पत्र दिनांक 01 जनवरी, 2016 के माध्यम से सेकेंड हैंड प्रयुक्त माल के आयात की अनुमति वापस लेकर उनका एलओए संशोधित किया और मंत्रालय के निर्देश दिनांक 14 दिसंबर, 2015 के अनुसार यूनिट के लिए इसके साथ संलग्न शर्तों से सहमत होने पर मैसर्स वर्षा कार्पोरेशन लिमिटेड की तर्ज पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश से भी अवगत कराया गया।

(vi) तथापि, यूनिट ने अपने पत्र दिनांक 18 जनवरी, 2016 के माध्यम से अपनी गतिविधियों का उल्लेख करते हुए सेकेंड हैंड माल का आयात जारी रखने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। जहां तक मैसर्स वर्षा कार्पोरेशन लिमिटेड की तर्ज पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का संबंध है, उन्होंने काम करने के तरीकों एवं आधार के बारे में अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की जिस पर मैसर्स वर्षा कार्पोरेशन ने आवेदन किया है और यह भी बताया कि उनका मामला उनके समकक्ष नहीं माना जाएगा।

अब पत्र दिनांक 10 जनवरी, 2018 के माध्यम से मैसर्स एसडब्ल्यूटीसी ने सूचित किया है कि उन्होंने मैसर्स वर्षा कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर फटे और प्रयुक्त कपड़ों की अपनी गतिविधि (व्यापार गतिविधि) के सभी नियमों एवं शर्तों को स्वीकार कर लिया है।

अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स वर्षा कार्पोरेशन लिमिटेड के मामले में 24 जुलाई, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में नोट किया कि यूनिट ने प्रस्ताव किया है कि वे डीटीए बिक्री में शामिल नहीं होंगे और यह कि प्रस्ताव एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 18(4)(ग) के अंतर्गत शामिल है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने फटे-पुराने / प्रयुक्त कपड़ों तथा अन्य फटी-पुरानी वस्तुओं की ट्रेडिंग के लिए प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि यूनिट 100 प्रतिशत निर्यात करेगी।

तद्नुसार, विकास आयुक्त, केएएसईजेड द्वारा फटे-पुराने / प्रयुक्त कपड़ों का व्यापार करने के लिए उपर्युक्त प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड की बैठक में चर्चा के लिए अग्रेषित किया गया है।

(ii) दाहेज एसईजेड में मैसर्स श्रीकुंज हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में सह विकासक का दर्जा अनुमोदित करने के लिए अनुरोध

यह दाहेज एसईजेड, भड़ूच, गुजरात में मैसर्स श्रीकुंज हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड को सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए आवेदन के सिलसिले में विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड के कार्यालय से पत्र दिनांक 25 जनवरी, 2018 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में है।

2. 11 अगस्त, 2009 को आयोजित 35वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुमोदित हॉस्पिटलिटी प्रोजेक्ट के लिए वाणिज्य विभाग के पत्र संख्या फाइल नंबर एफ2/9/2003-ईपीजेड दिनांक 26 अगस्त, 2009 के माध्यम से मैसर्स दाहेज हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड को मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा भड़ूच, गुजरात में विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया।

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 8 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड में यूनिटों / निवासियों / अन्य स्थापना को अतिथि सत्कार के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने तथा उक्त एसईजेड में अतिथि सत्कार परियोजना स्थापित करने के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स दाहेज हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड (डीएचपीएल) के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। सह विकासक भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किए गए बहु उत्पाद एसईजेड में अतिथि सत्कार परियोजना का विकास, प्रचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन करेगा तथा एसईजेड में यूनिटों / निवासियों / अन्य स्थापनाओं को अतिथि सत्कार के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करेगा। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अधिकृत प्रचालनों के लिए प्रस्ताव पर बाद में उस समय विचार किया जाएगा जब अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।

3. इसके अलावा, 19 मार्च 2009 को विकासक (दाहेज एसईजेड लिमिटेड) और सह विकासक (दाहेज हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड) के बीच सह विकासक करार किया गया। सह विकासक द्वारा 30 साल की अवधि के लिए परियोजना में निवेश किया जाना था और इस अवधि के दौरान उक्त स्थिति में कोई भी परिवर्तन विकासक की पूर्व अनुमित से किया जाना था। इसके अलावा, सह विकासक को पट्टे की अवधि के दौरान भूमि पर अपने पट्टे के अधिकार को, विकासक की स्वीकृति के अध्यधीन, परियोजना लागत के संबंध में ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान को हस्तांतरित करने का अधिकार होगा।

4. सह-विकासक, मैसर्स दाहेज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में मैसर्स कैम्बे एसईजेड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) ने स्माल इंडस्ट्रीज डेवलेपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी), अहमदाबाद से 13.32 करोड़ रुपये का ऋण लिया था और ऋण की अदायगी में असफल रहा/चूक की। इसके बाद, सिडबी के अधिकारियों ने दिनांक 14.12.2016 को विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड से मुलाकात की और सिडबी ने भरूच के जिला कलेक्टर की मदद से सह विकासक के परिसर को दिनांक 7.10.2016 को सील कर दिया और सिडबी ने कब्जे में लेने के बाद सह विकासक का कामकाज रोक दिया गया। सिडबी ने अधिनियम और सुरक्षा हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के प्रावधान के तहत दहेज एसईजेड में स्थित उधारकर्ता की प्लॉट नंबर जेड/4/1 स्थित चल संपत्ति के साथ अचल संपत्ति की बिक्री सूचना जारी की और दिनांक 19 नवंबर, 2016 को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई और 28 दिसंबर, 2016 को ई-नीलामी आयोजित की गई।

5. विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने बताया है कि आवेदक ने प्रस्तावित एसपीवी अर्थात श्रीकुंज हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड (खरीददार) के प्रोमोटरों, निदेशकों के पक्ष में स्व प्रमाणन जारी करते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का 54 (एसएआरएफएईएसआई) के तहत सिडबी से दाहेज एसईजेड के सह विकासक, मैसर्स कैम्बे एसईजेड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के दाहेज एसईजेड के गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थित उपरोक्त भूखंड संख्या जेड/4/1 जिसका क्षेत्रफल लगभग 26302.61 वर्गमीटर है, की चल और अचल संपत्तियों का 20 जनवरी, 2017 को अधिग्रहण कर लिया।

6. इसके अलावा, एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 11(9) के अनुसार विकासक एसईजेड में भूमि की बिक्री नहीं करेगा।

7. मैसर्स श्रीकुंज हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड को सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रोसेस करते समय निम्नलिखित खामियां पाई गई हैं :

(i) सह विकासक द्वारा भरे गए फार्म ए-1 (सह विकासक के अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र) पर विकास आयुक्त, दाहेज एसईजड द्वारा हस्ताक्षर / सिफारिश नहीं की गई है।

(ii) 2011-12 से 2014-15 तक 16,86,86,179 रुपए का ड्यूटी फ्री माल प्राप्त करने तथा सामग्री आवक रजिस्टर के अनुसार 4,53,88,781 रुपए के कुल सीमा शुल्क के संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी, दाहेज एसईजड से प्रमाण पत्र। तथापि, निर्दिष्ट अधिकारी, दाहेज एसईजड ने कहा है कि मैसर्स काम्बे सफायर, जेड/4/1, दाहेज, वागरा, गुजरात की कुल ड्यूटी एवं देयताएं यथा समय सूचित की जाएंगी।

(iii) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईएफबी शाखा, सायाजीगंज, वडोदरा के पक्ष में आहरित चेक नंबर 022218 दिनांक 5 जुलाई, 2017 के माध्यम से मैसर्स श्रीकुंज हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दाहेज एसईजड लिमिटेड को भुगतान / क्लियर किए गए 1,20,92,672 रुपए के बकाया का विवरण संलग्न नहीं है।

(iv) कानूनी कार्यवाही, यदि कोई हो, के संबंध में कोई स्पष्टीकारण नहीं है।

(v) विकास आयुक्त, दाहेज एसईजड से कोई सिफारिश नहीं है।

8. अब पत्र दिनांक 23 मार्च, 2018 के माध्यम से मैसर्स श्रीकुंज हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने संशोधित सह विकासक करार अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए प्रस्तुत किया है कि पिछले सह-विकासक मैसर्स कैम्बे एसईजेड लिमिटेड द्वारा दाहेज एसईजेड में पूर्व सह विकासक के रूप में लागू शुल्कों और करों की बाध्यता, यदि कोई हो, के संबंध में उठाये गये लाभ को नए सह विकासक मैसर्स श्रीकुंज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किया जाएगा और यह नए सह विकासक द्वारा एसएआरएफएएसईआई अधिनियम के तहत परिसंपत्तियों पर कब्जा किए जाने के बाद से समान नियमों और शर्तों के अनुसार निरंतर दायित्व का निर्वहन करने के रूप में इनके निर्वहन के लिए उनके दायित्व के तहत होगा।

9. सिडबी द्वारा पत्र दिनांक 23 मार्च, 2018 और 24 मार्च, 2018 के माध्यम से यह भी प्रमाणित किया गया है कि संबंधित भूखंड का बिक्री प्रमाण पत्र लीज होल्ड रिमूवेबल प्रॉपर्टी की अन-एक्सपायर्ड लीज अवधि की बिक्री को संदर्भित करता है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सह विकासक ने अनुमोदन बोर्ड से उपर्युक्त मामले पर विचार करने का अनुरोध किया है।

****